ई मेल

अति आवश्यक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26-अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल

क्रमांक/प्रांगण/46/62/विविध/2021-22/ ५११ भोपाल दिनांक 10/1/2022

प्रति

1- संयुक्त संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय-समस्त.

2- कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग- समस्त

3- भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति- समस्त

विषय- माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिका क्रमांक 10083/2021 गुलाब सिंह विरूद्व यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28 अक्टूबर 2021 एवं 09/12/2021

संदर्भ- कार्यालयीन पत्र/क्रमांक/प्रांगण/46/62/विविध/2021-22/1168-69 भोपाल, दिनांक 30/12/2021

कृपया विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए। माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिका क्रमांक 10083/2021 में पारित आदेश् के अनुक्रम में उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन, भण्डारण एवं वितरण हेतु एकीकृत नीति तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख् सचिव, खाद्य, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 13/12/2021 का कार्यवाही विवरण के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित प्ररूप में जानकारी प्रेषित की गई है।

अत: निम्न बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित ई-मेल ad.mpsamb@gmail.com पर दिनांक 13/01/2022 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

1)- प्ररूप 3, 3A to 3E

2)- प्ररूप 8

3)- प्ररूप 9

4)- मंडी बोर्ड के पास उपलब्ध भूमि पर गोदाम निर्माण की योजना की जिलेवार जानकारी।

5)- गोदाम निर्माण हेत् शार्टफाल वाले 15 जिलों में आगामी पांच वर्षो के लिए विशेष एक्शन प्लान। (1-मुरैना, 2-श्योपुर, 3-धार, 4-दमोह, 5-पन्ना, 6-सिवनी, 7-मंडला, 8-बालाघाट, 9-कटनी, 10-रीवा, 11-सतना, 12-सीधी, 13-सिंगरोली, 14-अनूपपुर एवं 15- उमरिया)

6)- गोदाम निर्माण हेतु सम्पूर्ण प्रदेश के लिए आगामी पांच वर्षो का एक्शन प्लान।

7)- मंडी बोर्ड के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता (उपयोगी एवं अनुपयोगी सभी गोदामों का) का जिलेवार डाटा।

8)- मडियों में खाली पडे शेड की जिलेवार जानकारी।

9)- अक्रियाशील बन्द पडी मंडियों में उपलब्ध भूमि पर गोदाम निर्माण की जिलेवार जानकारी।

<u>(प्रबंध संचालक महोदय के आदेशानुसार)</u>

संलग्नः- उपरोक्तानुसार सूची।

अपर संचालक(प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्रमांक/प्रांगण/46/62/विविध/2021-22/42 भोपाल दिनांक 10/1/2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- निज सचिव, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन।

2- निज सहायक, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

3- अपर संचालक (नियमन/प्रांगण सम्पदा/प्रोजेक्ट सेल AIF) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

4- अधीक्षण यंत्री मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार सूची।

अपर संचालक(प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 10083/2021 गुलाब सिंह विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में उठाये गये बिन्दु :-

1) म.प्र. में लाखो टन खाद्यान्न खुले में रखा होने से सड़ रहा है । एक अनुमान के अनुसार अकेले जबलपुर एवं विंध्याचल क्षेत्र के आस पास लगभग 10 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खुले में रखा होने से सड़ गया है । संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए यह आंकड़ा कई लाख मीट्रिक टन होगा । खाद्यान्नों को सड़ने से बचाने की इस स्थिति के लिए एवं जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है ।

2) जिला स्तर पर उपार्जित खाद्यान्नों के भंडारण कार्य की निगरानी/पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व तय करने की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है । अतः इस हेतु एक जिला स्तरीय समिति बनाये जाने की आवश्यकता है, जिसमें जन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए । यह समिति सुनिश्चित करेगी कि उपार्जित खाद्यान्न जिस पर राज्य शासन ने हजारों करोड़ रू. खर्च किये है सुरक्षित भंडारण न होने से खराब न हो ।

3) याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में इसी विषय पर याचिका क्रमांक WP 15363/2013 दायर की गई थी जिसमें दिनांक 19.08.2015 को आदेश पारित कर माननीय न्यायालय द्वारा उत्तरवादियों को इस दिशा में उचित कदम उठाने के निर्देश दिये गये थे ताकि खाद्यान्नों का उचित ढंग से भंडारण हो और वो खराब न हों । परंतु माननीय न्यायालय के उक्त आदेश का उत्तरवादियों द्वारा पालन नहीं किया गया, जिससे लाखो मीट्रिक टन खाद्यान्न सुरक्षित भंडारण न होने से खराब हुआ है ।

4) याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि संबंधित अधिकारियों एवं डिस्टिलर्स व मिलर्स के बीच गहरी सांठगांठ है, जिसके कारण 1800 – 2000 रूपये प्रति टन की दर पर खरीदा गया खाद्यान्न 200-300 रूपये प्रति टन में बेचा जाता है । इस की जांच कर उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए ।

5) मध्यप्रदेश में MPWLC के 1523 गोदाम हैं, जिनकी क्षमता 5313672 टन है, जिसमें से मार्च 2021 की स्थिति मात्र 2614526 टन क्षमता का ही उपयोग किया गया है, जो कुल क्षमता का मात्र 49 प्रतिशत है । शासकीय गोदामों में 50 प्रतिशत रिक्त क्षमता उपलब्ध होने के बाद भी लाखो टन खाद्यान्न को खुले में रखा जाएगा । परिणामस्वरूप यह खराब होगा ।

6) इसी तरह निजी क्षेत्र में 1,18,34,906 टन की भंडारण क्षमता 3783 निजी गोदामों में उपलब्ध है, जिसमें मार्च 2021 की स्थिति में मात्र 80,48,274 टन का ही उपयोग किया गया है, जो निजी क्षेत्र की कुल भंडारित क्षमता का 68 प्रतिशत है । इस प्रकार निजी क्षेत्र मे 32 प्रतिशत क्षमता आने वाले खाद्यान्नों के भंडारण हेतु उपलब्ध है ।

7) चूंकि राज्य शासन खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने में असमर्थ है । अतः इसका गरीबों को निःशुल्क वितरण किया जाए ।

8) वर्ष दर वर्ष खुले में रखने से लाखो टन खाद्यान्न सडने के मामले संज्ञान में आने के बाद भी उत्तरवादीगण खाद्यान्नों को खुले में भंडारित करते हैं जिसमें हल्की वर्षा होने से ही खाद्यान्न सड़ने से खराब हो जाता है । अतः याचिका क्रमांक WP 15363/2013 में पारित आदेश का पालन नहीं करने से उत्तरवादियों को पुनः उक्त याचिका में पारित आदेश के पालन में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये जाये । यदि वे ऐसा करने में असमर्थ है तो खाद्यानों का गरीबों में निःशुल्क वितरण कर दिया जाए ।

9) उपार्जित खाद्यान्नों के भंडारण के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता की आवश्कताओं का आंकलन कर नवीन भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाए जो पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें ।

याचिकाकर्ता द्वारा चाही गई रिलीफ :-

1) न्यायालय द्वारा उपार्जित बहुमूल्य खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण हेतु तत्काल कदम उठाये जाने के लिए निर्देश जारी किये जाये।

2) जिला स्तरीय समिति का गठन करने के निर्देश दिये जाये जिसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए । यह समिति सुनिश्चित करेगी कि सडने एवं सुरक्षित भंडारण के आभाव में खाद्यान्न खराब न हो।

3) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं करने से, उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये जाए ।

4) माननीय न्यायालय यह निर्देश जारी करे कि जबतक राज्य शासन उपार्जित खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने में असमर्थ है तब तक उक्त खाद्यान्न गरीबों में निःशुल्क वितरित किया जाए ।

अंतरिम रिलीफ :-

न्यायालय खुले में रखे खाद्यान्नों के आंकडों की स्टेटस रिपोर्ट बुलाई जाए, जो वर्षा ऋतु में सड़ सकता है और अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे खाद्यान्नों की सुरक्षा हेतु तत्काल कदम उठायें।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 10083/2021 में पारित आदेशों एवं पालन प्रतिवेदन की जानकारी

S No.	Date of Order	Direction given by the court	Compliance
01	15-06-2021	It is directed that the respondent/state shall immediately conduct a survey in all districts of the state through collectors concerned and find out where the food-grains are lying in open and take immediate remedial measure, and make necessary arrangements, for their protection from rains, by use of tarpaulin/plastic sheets or by any other similar material of make any other arrangement as may be required, including by raising by raising peripheral masonry walls and submit a report thereabout in the Registry of this court before the next date of hearing.	-
02	23-06-2021	-	In compliance of the aforesaid direction of the Court interim compliance has been submitted.
03	01-07-2021	-	Action taken report submitted.
04	08-07-2021	-	The second interim action taken report submitted.
05	16-07-2021	The petitioner is permitted to implead Madhya Pradesh state cooperative marketing federation limited as respondent No.5 in the cause-title of the petition.	-
06	23-08-2021	-	-
07	03-08-2021	We direct the state government as well as to the food corporation of India (respondent No.2), Department of food, civil supplies and consumer protection, government	-

		of M.P. Bhopal (respondent No. 3), Madhya Pradesh warehousing and logistics corporation (respondent No.4) and M.P. state corporation marking federation ltd. (respondent No.5) to place on record the complete details with regard to the godowns available at their disposal in different parts of the state indicating their capacity and also give the year wise data with regard to the quantum of food grains procured during past five years (i.e., 2016 to 2020). They shall also place on record the action plan as to in what period they proposed to construct more number of godowns for augmenting their storage capacity to protect the precious food grains which otherwise is getting their storage capacity to protect the precious good gains which otherwise is getting damaged/wasted every year.	
08	13-09-2021		State submits that the respondents/state has filed an action plan as per the direction of this court dated 03-08-2021 as to what steps it wants to take for preservation of the food grains procured every year, availability of the godowns, the quantity on the food grains procured during past 5 years and the future plans and in what best manner, the food grains can be protected from the damage or decay, It is informed that similar action plans have also been field by the Madhya Pradesh warehousing and logistics corporation as well as food corporation of India.

09	05-10-2021	-	-
10	23-10-2021	-	-
11	28-10-2021	Learned state counsel submits that the objections with regard to 1 to 9 at page-2 in justified and the state will accordingly be advised to delete the names from the committee. His submission is taken on record. He further pleads that the committee will furnish its report within a period of 30 days in view of the matter post this matter in the first week of December.	State placed on record a government order dated 27.10.2021 wherein, a special committee has been constituted to look into the subject matter of PIL.
12	09-12-2021	Call in the first week of April, 2022.	Submits that appropriate action is being undertaken by the state. Government order dated 27.10.2021 has been amended.

क्रं.	विभाग/संस्था का नाम	चाही गई जानकारी का विवरण	प्राप्त/ अप्राप्त	समन्वयकर्ता अधिकारी का नाम व पद नाम	मोबाइल नम्बर
01	मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल।	1) प्ररूप 1, 1A से 1E 2) प्ररूप 2, 2A से 2E 3) प्ररूप 3, 3A से 3E 4) प्ररूप 8 एवं 9 5) उठाव उपरांत अतिरिक्त खाद्यान्न के डिस्पोजल के लिए सुझाव। 6) संयुक्त भागीदारी गारंटी योजना का प्रस्ताव ।		श्री ए.के.दहायत महाप्रबंधक (वाणिज्य)	94250-0466
		1) राज्य शासन की वर्तमान में अप्रचलित योजनाओं को आवश्कतानुसार जिलो में पुनः चालू करने के संबंध में संशोधित प्रस्ताव ।		श्री एस.के. विधान, कार्यपालक संचालक, (वित्त/लेखा)	9425393240
		1) प्ररूप 3, 3A से 3E 2) प्ररूप 8 एवं 9 3) गोदाम निर्माण हेतु शार्टफाल वाले 15 जिलों के लिए आगामी पांच वर्षो का विशेष एक्शन प्लान। 4) गोदाम निर्माण हेतु संपूर्ण प्रदेश के लिए आगामी पांच वर्षो का एक्शन प्लान।		श्री जे.के.दुबे प्रमुख अभियंता	83490-11254

		5) शार्टफाल वाले जिलो जिलों में कौन-कौन सी योजनाओं के तहत गोदाम निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। 6) केप कन्चर्जन का डेटा। 7) मंडी बोर्ड के पास उपलब्ध भूमि पर गोदाम निर्माण की योजना। 8) राज्य शासन की वर्तमान में अप्रचलित योजनाओं को पुनः चालू करने के संबंध में सुझाव।			
02	MPSCSC	1) प्ररूप 4A, 4B, 2) प्ररूप 7, एवं 3) उठाव उपरांत अतिरिक्त खाद्यान्न के डिस्पोजल के लिए प्रस्ताव। 4) उपार्जन के समय क्षतिग्रस्त हुए स्कंध(धान एवं गेहूँ)े के आंकडे। 5) उपार्जित धान हेतु मिलर्स को वेअरहाउस निर्मित करने/3 माह का किराया देने संबंधी योजना की जानकारी।		श्री मनोज गुरहा, सहायक महाप्रबंधक	9826185376
03	FCI	1) प्ररूप 1, 1A to 1E, 2) प्ररूप 2, 2A to 2E, 3) प्ररूप 3, 3A to 3E, 4) प्ररूप 4A, 4B, 5) प्ररूप 5A, 5B, 6) प्ररूप 6A, 6B,		श्री विनोद रायकवार, मैनेजर	9926968100

		7) प्ररूप 7, 8) प्ररूप 8, 9) प्ररूप 9, 10) शार्टफाल वाले 15 जिलों में आगामी 05 वर्षो में गोदाम निर्माण की स्थति। 11) उपार्जन के समय खराब हुए स्कंध के आंकड़े 12) भंडारण के दौरान खराब हुए स्कंध के आंकड़े। 13) अतिरिक्त खाद्यान्न के डिस्पोज के लिए प्रस्ताव । 14) मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में स्कंधो के उपार्जन, भंडारण, उठाव व अतिशेष मात्रा की जानकारी।			
04	CWC	1) प्ररूप 1, 1A to 1E, 2) प्ररूप 2, 2A to 2E, 3) प्ररूप 3, 3A to 3E, 4) प्ररूप 4A, 4B, 5) प्ररूप 8, 6) प्ररूप 9 एवं 7) उठाव उपरांत अतिरिक्त खाद्यान्न के डिस्पोजल के लिए सुझाव। 8) गोदाम निर्माण हेतु संपूर्ण प्रदेश के लिए आगामी पांच वर्षो का जिलेवार एक्शन प्लान।		श्री पगारे, क्षेत्रीय प्रबंधक	8583805997

05	MARKFED	1) प्ररूप 1, 1A to 1E, 2) प्ररूप 2, 2A to 2E, 3) प्ररूप 3, 3A to 3E, 4) प्ररूप 4A, 4B, 5) प्ररूप 7 6) प्ररूप 8, 7) प्ररूप 9 8) उठाव उपरांत अतिरिक्त खाद्यान्न के डिस्पोजल के लिए प्रस्ताव। 9) उपार्जन के समय खराब हुए स्कंध के आंकड़े 10) भंडारण के दौरान खराब हुए स्कंध के आंकड़े। 11) गोदाम निर्माण हेतु शार्टफाल वाले 15 जिलों में आगामी पांच वर्षो के लिए जिलेवार विशेष एक्शन प्लान। 12) गोदाम निर्माण हेतु संपूर्ण प्रदेश के लिए आगामी पांच वर्षो का जिलेवार एक्शन प्लान।		श्री राकेश हेडाउ	9131166511
06	MANDI BOARD	1) प्ररूप 3, 3A to 3E 2) प्ररूप 8 3) प्ररूप 9 4) मंडी बोर्ड के पास उपलब्ध भूमि पर गोदाम निर्माण की योजना की जिलेवार जानकारी।		श्री चन्द्रशेखर वशिष्ठ, अपर संचालक	9826222221

		5) गोदाम निर्माण हेतु शार्टफाल वाले 15 जिलों में आगामी पांच वर्षो के लिए विशेष एक्शन प्लान। 6) गोदाम निर्माण हेतु संपूर्ण प्रदेश के लिए आगामी पांच वर्षो का एक्शन प्लान। 7) मंडी बोर्ड के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता (उपयोगी एवं अनुपयोगी सभी गोदामों का) का जिलेवार डेटा। 8) मंडीयों में खाली पडे शेड की जिलेवार जानकारी। 9) अक्रियाशील बंद पड़ी मंडीयो में उपलब्ध भूमि पर गोदाम निर्माण की जिलेवार जानकारी।			
07	NABARD	1) प्ररूप 8 2) प्ररूप 9 3) नाबार्ड द्वारा विगत पांच वर्षो में गोदाम निर्माण हेतु किए गए फाइनेंस की जिलेवार जानकारी। 4) आगामी पांच वर्षो में प्रस्तावित निर्माण की जिलेवार जानकारी।		श्री एस.सी. साहू, उपमहाप्रबंधक	9570662277
08	NCDC	1) प्ररूप 8 2) प्ररूप 9 3) एनसीडीसी द्वारा विगत पांच वर्षो में गोदाम निर्माण हेतु किए गए फाइनेंस की जिलेवार जानकारी। 4) एनसीडीसी द्वारा आगामी पांच वर्षो में प्रस्तावित निर्माण की जिलेवार जानकारी।		श्री एस.सी. साहू, उपमहाप्रबंधक	9570662277

09	DIRECTOR FOOD	1) प्ररूप 10		श्री जादौन, उप संचालक	7354070505
10	AIF	1) प्ररूप 8 2) प्ररूप 9 3) एआईएफ द्वारा विगत पांच वर्षो में गोदाम निर्माण हेतु किए गए फाइनेंस की जिलेवार जानकारी। 4) एआईएफ द्वारा आगामी पांच वर्षो में प्रस्तावित निर्माण की जिलेवार जानकारी।		श्रीमती संगीता ढोके, संयुक्त संचालक मण्डी	9425065217
11	OILFED	1) प्ररूप 1, 1A to 1E, 2) प्ररूप 2, 2A to 2E, 3) प्ररूप 3, 3A to 3E, 4) प्ररूप 8 5) प्ररूप 9 6) गोदाम निर्माण हेतु शार्टफाल वाले 15 जिलों में आगामी पांच वर्षो के लिए विशेष एक्शन प्लान। 7) गोदाम निर्माण हेतु संपूर्ण प्रदेश के लिए आगामी पांच वर्षो का एक्शन प्लान।		श्री एस.पी. सिंह, प्रभारी प्रशासन	9425192997
12	आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारिता, भोपाल।	1) भंण्डार गृहो में आवश्यक आधारभूत अधोसंरचना के साथ खरीदी केन्द्रो को स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव।			

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र. 10083/2020-21 में पारित आदेश के अनुक्रम में उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन, भण्डारण एवं वितरण हेतु एकीकृत नीति तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सचिव, खाद्य, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न

बैठक दि. 13.12.2021 का कार्यवाही विवरण

दि. 13.12.2021 को प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की अध्यक्षता में मंत्रालय वल्लभ भवन स्थित कक्ष क्र. 316 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र. 10083/2020-21 में पारित आदेश के अनुक्रम में उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन, भण्डारण एवं वितरण हेतु एकीकृत नीति तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में परिशिष्ट –'अ' अनुसार अधिकारी उपस्थित रहे ।

बैठक के प्रारंभ में मा0 न्यायालय में Video Conferencing के माध्यम से निम्न दिनांकों में हुई सुनवाई की प्रोसीडिंग की प्रतियाँ अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई गई :-

1. Video Conferencing	दि. 15.06.2021
2. Video Conferencing	दि. 23.06.2021
3. Video Conferencing	दि. 01.07.2021
4. Video Conferencing	दि. 08.07.2021
5. Video Conferencing	दि. 16.07.2021
6. Video Conferencing	दि. 03.08.2021
7. Video Conferencing	दि. 23.08.2021
8. Video Conferencing	दि. 13.09.2021
9. Video Conferencing	दि. 05.10.2021
10. Video Conferencing	दि. 23.10.2021
11. Video Conferencing	दि. 28.10.2021
12. Video Conferencing	दि. 09.12.2021

प्रबंध संचालक, MPWLC द्वारा बताया गया कि – मा. न्यायालय के समक्ष (जैसी परिस्थितियाँ प्रस्तुत की गई), के संदर्भ में न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि – जितना खाद्यान्न उपार्जित किया जा रहा है, उसके समक्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितने खाद्यान्न स्कंध का उठाव किया जा रहा है ? अतिशेष खाद्यान्न स्कंध के उठाव के लिए क्या प्लान है ? उपार्जित होने वाले स्कंध के भण्डारण के लिए क्या एक्शन प्लान है ? यदि किसी स्थान पर शार्टफॉल की स्थिति है, तो उसकी पूर्ति की क्या व्यवस्था प्रस्तावित है ? कव्हर्ड गोदामों में खाद्यान्न स्कंध भण्डारण की कमी की पूर्ति के लिए क्या प्लान है, आदि की एकीकृत योजना अप्रैल, 2022 के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत की जाये, ताकि खाद्यान्न को खराब होने से बचाया जा सके । वर्तमान में FCI द्वारा खाद्यान्न का उठाव तुलनात्मक रूप से काफी कम है । कव्हर्ड गोदामों में भण्डारित स्कंध का समय से उठाव नहीं हो पाने के कारण ही खाद्यान्न को ओपन में रखना पड़ता है । इस अतिरिक्त खाद्यान्न का डिस्पोजल कैसे किया जाए, इस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना आवश्यक है ।

प्रमुख सचिव, खाद्य द्वारा व्यक्त किया गया कि – प्रदेश में जो उपार्जन बढ़ रहा है, उसके अनुपात में कव्हर्ड एवं ओपन में स्कंध भण्डारण का प्रतिशत भी बढ़ रहा है । जिस गति से खाद्यान्न का बफर स्टॉक/केरी ओव्हर स्टॉक बढ़ रहा है, उस अनुपात में इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ पाता है । मा0 न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया जा सकता है कि – प्रदेश में भण्डारण के क्षेत्र में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के माध्यम से गोदाम क्षमता निर्माण की कौन-कौन सी योजनाऐं हैं, जिनके माध्यम से हमारी भण्डारण क्षमता में वृद्धि हो रही है । राज्य शासन की जो योजनाऐं वर्तमान में समयावधि पूर्ण होने के कारण, वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, उन योजनाओं को पुनः चालू किया जा सकता है, जिनमें निवेशकों को व्यवसाय ग्यारन्टी दिए जाने, गोदाम निर्माण हेतु पूँजी अनुदान एवं ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान है । भारत सरकार की प्रचलित योजनाओं के माध्यम से भी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाये । राज्य शासन एवं भारत शासन की योजनाओं का तुलनात्मक रूप से परीक्षण किया जाये तथा उनमें वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, शार्टफॉल वाले 15 जिलों हेतु और क्या सुविधाऐं/प्रावधान सम्मिलित कर आकर्षक बनाया जा सकता है, उसका प्रस्ताव तैयार कर प्रारूप प्रस्तुत किया जाये, ताकि जिन 15 जिलों में शार्टफॉल की स्थिति है, उसकी पूर्ति की जा सके । केप-कन्वर्जन से संबंधित डेटा भी तैयार कर, रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाये ।

(कार्यवाही – MPWLC)

कितना खाद्यान्न स्टोरेज में हैं, केप कन्वर्जन का डेटा तैयार किया जाये । साथ ही यह डाटा तैयार किया जाये कि देश में कितना खाद्यान्न स्कंध क्षतिग्रस्त होता है, इनमें उपार्जन वाले प्रदेशों में मध्य प्रदेश का तुलनात्मक रूप से कितना प्रतिशत है ।

प्रमुख सचिव, खाद्य द्वारा निर्देशित किया गया कि उपार्जन के समय खराब हुए स्कंध के आँकड़े भी दिये जायें ।

(कार्यवाही – MPSCSC)

प्रमुख सचिव खाद्य ने व्यक्त किया कि – प्रदेश में गोदाम क्षमता वृद्धि के संबंध में भारतीय खाद्य निगम की 10 वर्षीय व्यवसाय ग्यारन्टी योजना सहित केन्द्रीय भण्डारण निगम, मार्कफेड, मण्डी की क्या योजनाएँ हैं, MPWLC का कितना कवर्ड स्टोरेज बढ़ा है, के आँकड़े भी सम्मिलित किये जाये । इसकी तुलना में उपार्जन कितना बढ़ा है, इसका तुलनात्मक विवरण भी दिया जाये । यह भी बताया जाये कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की भण्डारण के क्षेत्र में चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

(कार्यवाही – MPWLC+CWC+MARKFED+Mandi+FCI)

प्रबंध संचालक, MPWLC ने व्यक्त किया कि – शासन को एक वर्ष में वितरण हेतु लगने वाला लगभग 30 लाख मेट्रन अनाज चाहिए, इसको देखते हुए, अतिशेष मात्रा का कैसे डिस्पोज किया जाये ? इस पर शासन स्तर से भारत सरकार को सुझाव प्रेषित किया जाना चाहिए । रबी एवं खरीफ दोनों सीजनों में उपार्जित मात्रा का 10-15 प्रतिशत, सेल करने के संबंध में भी पॉलिसी तैयार की जा सकती है, ताकि अधिक मात्रा में स्कंध भण्डारण में न रहे ।

प्रमुख सचिव खाद्य ने व्यक्त किया कि – OMSS की पहले जो पॉलिसी थी, उससे जो खाद्यान्न विक्रय हुआ था और उसके बाद कास्ट शीट बेस्ड दरें रखे जाने के कारण काफी कम मात्रा में स्टॉक का विक्रय हुआ । धान (पेडी) हेतु 03 माह के भण्डारण पर रू. 2.40 की दर से भुगतान प्राप्त होता है, जबकि वर्तमान में 8-10 माह धान (पेडी) स्टोरेज में रहती है, जिसके कारण भी भण्डारण स्थान की पूर्ति में कठिनाई होती है । एक्शन प्लॉन कितने वर्षों में, वर्ष वार कवर्ड क्षमता निर्मित कर शार्टफॉल की पूर्ति की जायेगी । पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु प्रबंध संचालक, MPSCSC एवं महाप्रबंधक FCI को निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही – MPSCSC+FCI)

प्रबंध संचालक, MPSCSC ने व्यक्त किया कि – उपार्जित धान स्कंध हेतु उनके कार्यालय स्तर से संबंधित मिलरों को अपने वेयरहाउस निर्मित करने तथा इस हेतु 03 माह का किराये देने का भी प्रस्ताव दिया गया है ।

जी0 न्यायालय में दायर याचिका के परिपेक्ष्य में उपार्जित खाद्यान्न स्कंध का डेटा तैयार करने हेतु तैयार किए गए प्रस्तावित प्रारूप का प्रजेन्टेशन किया गया ।

प्रबंध संचालक, MPWLC ने व्यक्त किया कि –

(1) प्ररूप क्रमांक – 1 के तहत - प्रदेश स्तर पर - उपार्जन एवं भण्डारण की व्यवस्था (रबी) 2016-2021 तक - वर्षवार कुल उपार्जित मात्रा (गेहूँ/दलहन/तिलहन), उसके भण्डारण (गोदाम – शासकीय/निजी गोदाम,/ स्टील सायलो/ सायलो बैग, केप – कच्चा/पक्का) की व्यवस्था एवं केप में रखे गए स्कंध की जानकारी का डेटा (कुल 15 कॉलमों के अन्तर्गत) संकलित किया जाना प्रस्तावित है ।

उपार्जन बढ़ रहा है, गोदामों की क्षमता भी बढ़ रही है । ओपन एवं कच्चे केप निर्माण एवं उनमें भण्डारण की मात्रा में भी कमी हो रही है । उपार्जन बढ़ने से, उपार्जित स्कंध के सुरक्षित भण्डारण संबंधी जो चुनौतियाँ बढ़ी हैं, वह शासन के संज्ञान में हैं तथा उनके निदान हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

विचारोपरान्त, वर्ष 2011 से डेटा संकलित किए जाने के स्थान पर विगत 05 वर्ष का डेटा तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाही – MPWLC + Markfed+CWC+FCI+ Oilfed)

प्ररूप क्रमांक – 1 A से 1 E के तहत – उक्तानुसार जिलेवार डेटा (कुल 15 कॉलमों के अन्तर्गत) संकलित किया जाना है ।

(कार्यवाही – MPWLC + Markfed+CWC+FCI+ Oilfed)

(2) प्ररूप क्रमांक – 2 के तहत - प्रदेश स्तर पर - उपार्जन एवं भण्डारण की व्यवस्था (खरीफ) 2016-2021 तक - वर्षवार कुल उपार्जित मात्रा (धान/मोटा-अनाज), उसके भण्डारण (गोदाम – शासकीय/निजी गोदाम,/ स्टील सायलो/ सायलो बैग, केप – कच्चा/पक्का) की व्यवस्था एवं केप में रखे गए स्कंध की जानकारी का डेटा (कुल 15 कॉलमों के अन्तर्गत) संकलित किया जाना प्रस्तावित है ।

(कार्यवाही – MPWLC + Markfed+CWC+FCI+ Oilfed)

प्ररूप क्रमांक – 2 A से 3 E के तहत – उक्तानुसार जिलेवार डेटा (कुल 15 कॉलमों के अन्तर्गत) संकलित किया जाना है ।

(कार्यवाही – MPWLC + Markfed+CWC+FCI+ Oilefed)

(3) प्ररूप क्रमांक – 3 के तहत – मध्य प्रदेश में निर्मित भण्डारण व्यवस्था वर्ष 2016 से 2021 तक का डेटा (कुल 29 कॉलमों के अन्तर्गत) संकलित किया जाना प्रस्तावित है ।

(कार्यवाही – MPWLC + Markfed +Mandi Board+ FCI+ CWC+ Oilefed)

प्ररूप क्रमांक – 3 A से 3 E के तहत – उक्तानुसार जिलेवार डेटा (कुल 29 कॉलमों के अन्तर्गत) संकलित किया जाना है ।

(कार्यवाही – MPWLC + Markfed +Mandi Board+ FCI+ CWC+ Oilefed)

प्रमुख सचिव, खाद्य द्वारा व्यक्त किया जाये कि – उक्त संबंध में वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु संबंधित संस्थाओं को पत्र लिखा जाये । पत्र में स्पष्ट लिखा जाये कि सिर्फ खाद्यान्न संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाये ।

(4) <u>प्ररूप क्रमांक – 4 A के तहत –</u> प्रदेश स्तर पर उपार्जित स्कंध के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी **(रबी)** 2016-2021 तक का डेटा (कुल 20 कॉलमों के अन्तर्गत) संकलित किया जाना प्रस्तावित है (गेंहूँ एवं दलहन/तिलहन की उपार्जित/क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की वर्षवार मात्रा का जानकारी) ।

(कार्यवाही –FCI+CWC+Markfed +MPSCSC)

<u>प्ररूप 4 B</u> के तहत उक्त जानकारी खरीफ सीजन अन्तर्गत धान एवं मोटा अनाज की उपार्जित/क्षतिग्रस्त मात्रा एवं कुल उपार्जित/क्षतिग्रस्त मात्रा संबंधित संकलित की जाना है ।

(कार्यवाही –CWC+Markfed +MPSCSC)

(5) <u>प्ररूप क्रमांक – 5 A के तहत –</u> मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में उपार्जन एवं भण्डारण की व्यवस्था **(रबी)** 2020-2021 का डेटा (कुल 15कॉलमों के अन्तर्गत) संकलित किया जाना है (गेंहूँ एवं दलहन/तिलहन की - (गोदाम – शासकीय/निजी गोदाम,/ स्टील सायलो/ सायलो बैग, केप – कच्चा/पक्का)) ।

(कार्यवाही –FCI)

<u>प्ररूप 5 B</u> के तहत उक्त जानकारी **खरीफ** सीजन अन्तर्गत धान एवं मोटा अनाज की वर्ष 2020-21 से संबंधित मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रमुख प्रदेशों में उपार्जन एवं भण्डारण की व्यवस्था की जानकारी संकलित की जाना है ।

(कार्यवाही - FCI)

प्रमुख सचिव, खाद्य द्वारा व्यक्त किया गया कि - दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है की जानकारी भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से प्राप्त की जाये । तुल्नात्मक रूप से दूसरे राज्यों में जहाँ उपार्जन होता है, जैसे - पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ताकि यह पता चल सके कि आनुपातिक रूप से प्रदेश की क्या स्थिति है । मध्य प्रदेश की तुलना में अन्य प्रदेशों में कितनी खरीदी होती है, की जानकारी भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम DCC का सदस्य होता है । अतः CMD, FCI को मा. न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु उक्त डेटा उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा जाये ।

(6) <u>प्ररूप क्रमांक – 6 A के तहत –</u> मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में **रबी** सीजन में उपार्जित स्कंध **गेंहूँ** के **क्षतिग्रस्त होने की जानकारी** का डेटा (कुल 23 कॉलमों के अन्तर्गत) वर्ष 2016-2017 से संकलित किया जाना है ।

(कार्यवाही –FCI)

प्ररूप 6 B के तहत मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में खरीफ सीजन में उपार्जित स्कंध धान के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी का डेटा (कुल 23 कॉलमों के अन्तर्गत) वर्ष 2016-2017 से संकलित किया जाना है ।

(कार्यवाही – FCI)

(7) प्ररूप क्रमांक – 7 के तहत – मध्य प्रदेश में उपार्जित स्कंध का उठाव एवं अवशेष का डेटा कुल 14 कॉलम्स में (गेहूँ, चावल) वर्ष 2016-2017 से 2020-21 की स्थिति में वर्षवार (उपार्जित मात्रा, पीडीएस में उठाव, एफसीआई परिदान, अवशेष मात्रा, कुल मात्रा सहित) संकलित किया जाना है ।

(कार्यवाही – Markfed +MPSCSC+FCI)

(8) प्ररूप क्रमांक – 8 के तहत – मध्य प्रदेश में विभिन्न नीतियों/योजनाओं के तहत निर्मित कव्हर्ड भण्डारण क्षमता का डेटा एजेंसीवार कुल 4 कॉलम्स में (योजना एवं निर्मित कव्हर्ड क्षमता) वर्ष 2016-2017 से 2020-21 की स्थिति में वर्षवार संकलित किया जाना है ।

(कार्यवाही – MPWLC+ Markfed +FCI + CWC + Oilefed + NABARD + Mandi Board+ AIF + NCDC)

(9) प्ररूप क्रमांक – 9 के तहत – मध्य प्रदेश में विभिन्न नीतियों/योजनाओं के तहत आगामी वर्षों के लिए निर्मित कव्हर्ड भण्डारण क्षमता का डेटा एजेंसीवार कुल 3 कॉलम्स में (योजना एवं निर्मित कव्हर्ड क्षमता) संकलित किया जाना है

(कार्यवाही – MPWLC+ Markfed +FCI + CWC + Oilefed + NABARD + Mandi Board+ AIF + NCDC)

(10) प्ररूप क्रमांक – 10 के तहत – प्रदेश में गोदामों के संचालन हेतु संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मध्य प्रदेश द्वारा वेयरहाउस लायसेंस जारी किए जाते हैं । विगत 05 वर्षों में कुल कितने लायसेंस जारी किए गए के संबंध में वर्षवार एवं क्षमतावार जानकारी उपलब्ध कराई जाये । इसके लिए प्ररूप 10 जिसमें 15 कॉलम में जानकारी संकलित किया जाना है ।

(कार्यवाही – Director Food)

प्रमुख सचिव, खाद्य द्वारा व्यक्त किया गया कि उक्त प्ररूप में किस नीति के तहत कितनी क्षमता निर्मित की गई है, उसकी जानकारी संकलित की जाना है । इसमें आगामी वर्षों के क्या प्लान है, इसका समावेश करते हुए, जिलेवार, एजेंसीवार डेटा भी प्राप्त कर संकलित किया जाये । चूँकि, नाबार्ड द्वारा फायनेंस किया जाता है । अतः नाबार्ड से भी विगत वर्षों में किए गए फायनेंस एवं आगामी प्रस्तावित निर्माण का डेटा प्राप्त किया जाये ।

प्रमुख सचिव, खाद्य द्वारा व्यक्त किया गया कि – मा0 न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में ऑर्जन, स्टोरेज, डिस्पोजल, बैलेन्स, वर्तमान में प्रस्तावित एक्शन प्लान, शॉर्टफॉल वाले 15 जिलों में पूर्ति हेतु विशेष योजना प्लान आदि के आधार पर पक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

(कार्यवाही – MPWLC+ Markfed +FCI + CWC + Ollefed + NABARD +Mandi Board+ AIF + NCDC)

बैठक में उपस्थित मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक द्वारा बताया गया कि – प्रदेश में मण्डी बोर्ड के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता का डेटा उनके द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा (उपयोगी एवं अनुपयोगी सभी गोदामों का) । जिन गोदामों में रिपेयर-मेंटनेंस की आवश्यकता होगी, सूचित किए जाने पर तदनुसार रिपेयर मेंटनेंस वर्क भी करा दिया जायेगा । जिन मण्डियों में शेड खाली पड़े हैं, खासकर शॉर्टफॉल वाले जिलों में, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकतानुसार रिपेयर मेंटनेंस कराकर, भण्डारण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा ।

(कार्यवाही – Mandi Board)

प्रमुख सचिव, खाद्य द्वारा व्यक्त किया गया कि – निर्णय अनुसार मण्डी बोर्ड द्वारा प्रदेश में शार्टफॉल वाले जिलों में मण्डी के पास उपलब्ध भूमि पर 10.00 लाख मेट्रिक क्षमता के गोदाम निर्मित कर निगम को किराये पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाये । धान की औसत भण्डारण अवधि 4-5 माह है, जो कि वर्तमान में 6-7 माह है, जिस हेतु गोदाम किराया प्राप्त हो सकेगा ।

प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड द्वारा बताया गया कि जिन जिलों में भण्डारण क्षमता की कमी है, वहाँ AIF योजनान्तर्गत किए गए अनुबंध अनुसार DPR तैयार हो गई है एवं 3% के अनुदान के लाभ का प्रावधान लेकर, नाबार्ड या BOT & PPP मोड अन्तर्गत गोदाम निर्माण हेतु भी परीक्षण कर योजना तैयार कर अक्रियाशील पड़ी मण्डी में उपलब्ध भूमि पर गोदाम निर्माण कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

(कार्यवाही – Mandi Board)

प्रमुख सचिव, खाद्य ने व्यक्त किया कि मा0 न्यायालय को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में यह भी बताया जाये कि शार्टफॉल वाले जिलों में वर्तमान में कौन कौन सी योजनाओं के तहत गोदाम निर्माण की कार्यवाही की जा रही है । इन जिलों में प्रायवेट सेक्टर द्वारा गोदाम निर्माण हेतु प्रस्ताव नहीं दिया गया है । इन जिलों के कलेक्टर्स को भी SLVC की बैठक कर इन्वेस्टर्स तैयार करने हेतु प्रयास किए गए हैं । स्टोरेज ग्यारन्टी स्कीम, राज्य शासन की योजनाओं सहित, शार्टफॉल वाले 15 जिलों के लिए विशेष योजना तैयार कर, उसकी जानकारी भी समावेशित की जाये ।

(कार्यवाही – MPWLC)

उपरोक्त समस्त जानकारी तैयार कर MPWLC को दिसम्बर, 2021 के अन्त तक अनिवार्यतः प्रेषित की जावे ।

उक्त चर्चा एवं निर्देशों के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(फैज अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मध्य प्रदेश शासन

परिशिष्ट - 'अ'

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र. 10083/2020-21 में पारित आदेश के अनुक्रम में उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन, भण्डारण एवं वितरण हेतु एकीकृत नीति तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में **प्रमुख सचिव, खाद्य, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न**

बैठक दि. 13.11.2021 में उपस्थित अधिकारी

1. श्री फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।
2. श्री विकास नरवाल, प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड भोपाल
3. श्री तरूण कुमार पिथौड़े, प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल ।
4. श्री दीपक सक्सेना, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्य प्रदेश ।
5. श्री दीपक सक्सेना, प्रबंध संचालक, म.प्र. वेअरहाउसिं एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल ।
6. प्रबंध संचालक, मार्कफेड के प्रतिनिधि - श्री राकेश हेडाऊ, उप महाप्रबंधक (भण्डारण)
7. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, भोपाल के प्रतिनिधि - श्री विनोद कुमार रायकवार, प्रबंधक (भंडारण)
8. क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, भोपाल के प्रतिनिधि - श्री अनन्त सारीन
9. स्टेट हैड, नाफेड भोपाल के प्रतिनिधि - श्री अमित कुमार तनेजा

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष जनहित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. नंबर 10083/2021 में पारित आदेश के अनुक्रम में उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन, भंडारण एवं वितरण हेतु एकीकृत नीति दिशा निर्देश तैयार करने हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की रिपोर्ट ।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष जनहित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. नंबर 10083/2021 (श्री गुलाबसिंह विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया व अन्य) में पारित आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 27.10.2021 यथा संशोधित दिनांक 26.11.2021 जारी कर निम्नानसार राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल - **अध्यक्ष**
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन, कृषि कल्याण तथा कृषि विभाग -**सदस्य**
3. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल -**सदस्य**
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल -**सदस्य**
5. प्रबंध संचालक, एम.पी.वेअरहउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल -**सदस्य सचिव**
6. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल -**सदस्य**
7. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल -**सदस्य**
8. संचालक, म.प्र.शासन, कृषि एवं उद्यानिकी, भोपाल -**सदस्य**
9. आयुक्त, सहकारिता विभाग, भोपाल -**सदस्य**
10. महाप्रबंधक(मध्य क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, भोपाल -**सदस्य**
11. क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भण्डारगृह निगम, भोपाल -**सदस्य**
12. शाखा प्रबंधक, नाफेड, भोपाल –**सदस्य**

2) उक्त समिति को निम्नलिखित दायित्व सौंपे गये :-

I. समिति आगामी वर्षों में उपार्जित होने वाले खाद्यान्नों की मात्रा के अनुमानों के आंकलन के लिए किसान रजिस्ट्रेशन, उत्पादन मात्रा, रकबा, उत्पादकता, प्रचलित बाजार मूल्य आदि के आधार पर फार्मूला तैयार करना
II. उक्त अनुमानों के अनुसार भण्डारण क्षमता की उपलब्धता का मूल्यांकन करना, यदि उपलब्ध क्षमता कम है तो नवीन क्षमता निर्माण के लिए सुझाव प्रस्तुत करना ।
III. विद्यमान भण्डारण व्यवस्था की कमियों का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करना ।
IV. उपलब्ध भण्डारण क्षमता के अनुकूलतम उपयोग किये जाने के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना ।
V. उपार्जित किये जाने वाले स्कंध/खाद्यान्नों की भण्डारण अवधि का निर्धारण करना एवं तदानुसार उनके निस्तारण की नीति तैयार करना ।

VI. खरीदी केन्द्रों पर FAQ खाद्यान्नों की खरीदी,खरीदी केन्द्र पर अस्थाई सुरक्षित भण्डारण, परिवहन/निस्तारण हेतु पॉलिसी तैयार करना ।

VII. एक वर्ष एवं उससे पूर्व वर्षों के भण्डारित खाद्यान्न के उठाव/निस्तारण/OMSS के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना ।

VIII. भण्डारण अवधि के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने एवं गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के संबंध में नीति निर्धारित करना ।

3) समिति द्वारा उक्त् सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नानुसार बैठकें की गई :-

क्रमांक	बैठक का दिनांक	बैठक में लिये गये निर्णय	कार्यवाही विवरण
1	09.11.2021	समिति द्वारा उपार्जित खाद्यान्न के सुरक्षित परिवहन, भंडारण एवं वितरण के संबंध में एकीकृत नीति करने के लिए मा. उच्च नयायालय से 4 माह की समय सीमा बढ़ाने एवं उक्त विषयों से संबंधित आंकडे/जानकारी सर्वसंबंधितों से बुलाये जाने का निर्णय लिया गया ।	उक्त् बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 08.12.2021 को जारी किया गया ।
2	13.12.2021	समिति द्वारा विषय से संबंधित आंकडे/जानकारी एकत्रित किये जाने हेतु प्रारूप क्रमांक 01 से लेकर 10 तक अनुमोदित किये गये एवं सर्वसंबंधितों को 31.12.2021 तक समस्त जानकारी तैयार कर MPWLC को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं ।	उक्त् बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 16.12.2021 को जारी किया गया ।
3	07.01.2022		

4) समिति को सौंपे गये दायित्वों के संबंध में उक्तानुसार आयोजित बैठकों में खाद्यान्नों के उपार्जन से लेकर उनके अंतिम वितरण/निस्तारण से संबंधित प्रत्येक पहलू पर समिति द्वारा विस्तारपूर्वक अध्ययन एवं विचार विमर्श किया गया । समिति द्वारा विगत 5 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर वियमान व्यवस्था का अध्ययन किया गया । उपार्जन की बढ़ती मात्रा के साथ भंडारण सुविधाओं के विस्तार, भंडारण के दौरान खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने, पीडीएस एवं एफसीआई द्वारा उठाव पश्चात बचे अतिशेष खाद्यान्नों के निस्तारण की चुनौती के संबंध में विस्तार से अध्ययन एवं विचार विमर्श किया गया । खाद्यान्न उपार्जन से लेकर अंतिम निस्तारण तक के प्रत्येक चरण का संपूर्ण अध्ययन करने एवं विद्यमान व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव/कार्ययोजना प्रस्तुत करने हेतु समिति द्वारा निम्न बिन्दु तय किये गये :-

(1) उपार्जन

(2) परिवहन

(3) भंडारण

(4) उपार्जन एवं भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की क्षतिग्रस्तता

(5) उपार्जित खाद्यान्नों/स्कंध का उठाव एवं अतिशेष स्कंध का निस्तारण

(6) गोदाम निर्माण हेतु प्रचलित योजनाएँ एवं नई योजनाओं की आवश्यकता

(1) उपार्जन –

I. विगत 05 वर्ष में उपार्जन की स्थिति
II. आगामी 05 वर्षों के लिए उपार्जन के प्रोजेक्शन
III. उपार्जन में आ रही चुनौतियाँ
IV. उपार्जन की विद्यमान नीतियाँ
V. समिति द्वारा प्रस्तावित नीति/कार्ययोजना

(2) परिवहन –

I. परिवहन में आ रही चुनौतियाँ
II. परिवहन की विद्यमान नीति
III. समिति द्वारा प्रस्तावित नीति/कार्ययोजना

(3) भंडारण –

I. विगत 05 वर्ष में उपार्जन की मात्रा के विरूद्ध भण्डारण की स्थिति
II. आगामी 05 वर्षों में उपार्जन के प्रोजेक्शन अनुसार भण्डारण क्षमता की उपलब्धता
III. भण्डारण में आ रही चुनौतियाँ
IV. समिति द्वारा प्रस्तावित नीति/कार्ययोजना

(4) उपार्जन एवं भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की क्षतिग्रस्तता

I. विगत 05 वर्ष में उपार्जित खाद्यान्नों की क्षतिग्रस्तता की स्थिति
II. मध्यप्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में उपार्जित स्कंध गेहूं एवं धान में क्षतिग्रस्तता की स्थिति
III. उपार्जन एवं भण्डारण के दौरान स्कंध क्षतिग्रस्त होने के कारण एवं शासन द्वारा किये जा रहे प्रयास
IV. समिति द्वारा प्रस्तावित नीति/कार्ययोजना

(5) उपार्जित खाद्यान्नों/स्कंध का उठाव एवं अवशेष स्कंध का निस्तारण

I. विगत 05 वर्ष में उपार्जित खाद्यान्नों/स्कंध के उठाव एवं उठाव पश्चात अवशेष स्कंध की स्थिति
II. विगत वर्षों के अवशेष स्कंध के कारण भण्डारण में आ रही चुनौतियां
III. समिति द्वारा प्रस्तावित नीति/कार्ययोजना

(6) गोदाम निर्माण हेतु प्रचलित योजनाएं एवं नई योजनाओं की आवश्यकता

I. विगत 05 वर्षों में विभिन्न नीतियों/योजनाओं के तहत एजेंसी वार निर्मित कव्हर्ड भण्डारण क्षमता की स्थिति
II. आगामी वर्षों के लिये विभिन्न नीतियों/योजनाओं के तहत निर्मित कव्हर्ड भण्डारण क्षमता की एजेंसी वार स्थिति
III. समिति द्वारा प्रस्तावित नीति/योजनाएँ

प्रपत्र-3(MPWLC+MARKFED+CWC+FCI+OILFED+MANDIBOARD)

मध्यप्रदेश में निर्मित भंडारण व्यवस्था

2016-17 से 20-2021 तक

एजेन्सी का नाम-

(मात्रा लाख मेट्रिक टन में)

क्रमांक	वर्ष	वर्ष आरंभ में उपलब्ध क्षमता									वर्ष में निर्मित भंडारण क्षमता									वर्ष अन्त तक कुल भंडारण क्षमता								
		गोदाम					कैप			महायोग (7+10)	गोदाम					कैप			महायोग (16+19)	गोदाम					कैप			महायोग (25+28)
		शासकीय गोदाम	निजी गोदाम	स्टील सायलो	सायलो बैग	कुल (3+4+5+6)	कच्चा	पक्का	कुल (8+9)		शासकीय गोदाम	निजी गोदाम	स्टील सायलो	सायलो बैग	कुल (12+13+14+15)	कच्चा	पक्का	कुल (17+18)		शासकीय गोदाम	निजी गोदाम	स्टील सायलो	सायलो बैग	कुल (21+22+23+24)	कच्चा	पक्का	कुल (26+27)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2016-17																											
2	2017-18																											
3	2018-19																											
4	2019-20																											
5	2020-21																											
योग-																												

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रपत्र-3A (MPWLC+MARKFED)

प्रपत्र-3(MPWLC+MARKFED+CWC+FCI+OILFED+MANDIBOARD)

2016-17 से 2020-21 तक अलग-अलग प्रपत्र में तैयार किया जाना है (प्रपत्र 3A से 3E तक)

(मात्रा लाख मेट्रिक टन में)

एजेन्सी का नाम-

क्रमांक	जिला	वर्ष आरंभ में उपलब्ध क्षमता									वर्ष में निर्मित भंडारण क्षमता									वर्ष अन्त तक कुल भंडारण क्षमता								
		गोदाम					कैप			महायोग (7+10)	गोदाम					कैप			महायोग (16+19)	गोदाम					कैप			महायोग (25+28)
		पारम्परिक गोदाम	निजी गोदाम	स्टील साइलो	साइलो बैग	कुल (3+4+5+6)	कच्चा	पक्का	कुल (8+9)		पारम्परिक गोदाम	निजी गोदाम	स्टील साइलो	साइलो बैग	कुल (12+13+14+15)	कच्चा	पक्का	कुल (17+18)		पारम्परिक गोदाम	निजी गोदाम	स्टील साइलो	साइलो बैग	कुल (21+22+23+24)	कच्चा	पक्का	कुल (26+27)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Sheopur					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
2	Morena					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
3	Bhind					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
Chambal Division		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gwalior					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
5	Shivpuri					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
6	Guna					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
7	Ashoknagar					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
8	Datia					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
Gwalior Division		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chambal +Gwalior		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Dewas					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
10	Ratlam					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
11	Shajapur					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
12	Agar					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
13	Mandsaur					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
14	Neemuch					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
15	Ujjain					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
Ujjain Division		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Indore					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
17	Dhar					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
18	Jhabua					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
19	Alirajpur					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
20	Khargone					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
21	Burhanpur					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
22	Khandwa					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
23	Barwani					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
Indore Division		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रमांक	जिला	वर्ष आरम्भ में उपलब्ध क्षमता									वर्ष में निर्मित भंडारण क्षमता									वर्ष अन्त तक कुल भंडारण क्षमता								
		गोदाम					कैप			महायोग (7+10)	गोदाम					कैप			महायोग (16+19)	गोदाम					कैप			महायोग (25+28)
		शासकीय गोदाम	निजी गोदाम	स्टील सायलो	सायलो बैग	कुल (3+4+5+6)	कच्चा	पक्का	कुल (8+9)		शासकीय गोदाम	निजी गोदाम	स्टील सायलो	सायलो बैग	कुल (12+13+14+15)	कच्चा	पक्का	कुल (17+18)		शासकीय गोदाम	निजी गोदाम	स्टील सायलो	सायलो बैग	कुल (21+22+23+24)	कच्चा	पक्का	कुल (26+27)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
24	Bhopal					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
25	Sehore					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
26	Raisen					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
27	Rajgarh					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
28	Vidisha					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
Bhopal Division		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Betul					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
30	Hoshangabad					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
31	Harda					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
Narmadapuram		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Sagar					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
33	Damoh					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
34	Panna					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
35	Chhatarpur					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
36	Tikamgarh					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
37	Niwari					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
Sagar Division		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Jabalpur					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
39	Chhindwara					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
40	Narsinghpur					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
41	Seoni					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
42	Mandla					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
43	Balaghat					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
44	Dindori					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
45	Katni					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
Jabalpur Division		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Rewa					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
47	Satna					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
48	Sidhi					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
49	Singrauli					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
Rewa Division		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Shahdol					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
51	Anuppur					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
52	Umaria					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00					0.00			0.00	0.00
Shahdol Division		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rewa+Shahdol		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
All Division Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

प्ररूप-8 (MPWLC+CWC+FCI+OILFED+MARKFED+ MANDIBOARD+NABARD+AIF+NCDC)

विभिन्न नीतियों/योजनाओं के तहत निर्मित कव्हर्ड भंडारण क्षमता

(2016-17 से अघतन स्थिति)

एजेन्सी का नाम-

(मात्रा लाख मे0टन में)

क्रमांक	वर्ष	नीति योजना	निर्मित कव्हर्ड क्षमता
1	2	3	4
1	2016-17		
2	2017-18		
3	2018-19		
4	2019-20		
5	2020-21		
योग-			

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

प्ररूप-9 (MPWLC+CWC+FCI+OILFED+MARKFED+ MANDIBOARD+NABARD+AIF+NCDC)

विभिन्न नितियों/योजनाओं के तहत आगामी वर्षो के लिए प्रस्तावित कव्हर्ड भंडारण क्षमता

एजेन्सी का नाम-

(मात्रा लाख मेण्टन में)

क्रमांक	नीति योजना	निर्मित कव्हर्ड क्षमता
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
योग-		

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम